

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्या: 37, दिनांक 29-01-2022

लगभग 02 दशको से सक्रिय जनपद अम्बेडकरनगर का कुख्यात अपराधी एवं थाना महरूआ का वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी विजय सिंह उर्फ बिज्जी उर्फ बिजेन्द्र की एसटीएफ उ0प्र0 के साथ हुई साहसिक मुठभेड़, मुठभेड़ में घायल अपराधी को इलाज के दौरान चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

दिनांक 29-01-2022 को जनपद गोण्डा के थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत एस0टी0एफ0 टीम के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ के दौरान जनपद अम्बेडकरनगर का कुख्यात अपराधी एवं थाना महरूआ का वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी विजय सिंह उर्फ बिज्जी उर्फ बिजेन्द्र साहसिक मुठभेड़ में घायल हो गया जिसे सीएचसी परसपुर ले जाया गया, इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया।

मृतक का विवरण:-

1- विजय सिंह उर्फ बिज्जी उर्फ बिजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 अशोक कुमार नि0 खरगपुर, थाना-कोतवाली अकबरपुर, जनपद- अम्बेडकरनगर।

बरामदगी:-

- 1- 01 अदद पिस्टल .32 बोर
- 2- 05 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस
- 3- 01 अदद पल्सर मो0 साइकिल (यूपी-42-एल-7570)
- 4- 01 अदद हैलमेट
- 5- 01 अदद मोबाइल फोन (लावा)

मुठभेड़ का दिनांक/समय/स्थान:-

दिनांक 29-01-2022, समय- 06:00 बजे, थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत परसपुर-नवाबगंज मार्ग पर

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में डा0 राकेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना- परसपुर क्षेत्र में एक दुर्दान्त अपराधी रूका हुआ है, जो अम्बेडकरनगर का रहने वाला है, जो किसी सनसनीखेज घटना को कारित करने की फिराक में है। उक्त सूचना पर विश्वास कर डा0 राकेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0, लखनऊ दिनांक 29-01-2022 की प्रातः परसपुर चौराहे पर पहुँचकर टीम प्रभारी से मुलाकात की। उसी समय एक आदमी पल्सर मो0साइकिल से नवाबगंज की तरफ तेजी से निकला, मुखबिर ने बताया कि यह वही अपराधी है जो यहाँ रूका हुआ था तथा

किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। इस सूचना पर डा0 राकेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0, लखनऊ की नेतृत्व वाली टीम द्वारा पीछा करना शुरू कर दिया गया एवं बुलन्द आवाज में चेतावनी देते हुए रूकने हेतु कहा गया, जिसपर वह पुलिसवालों को गाली देते हुए अपनी बाइक की स्पीड को ओर तेज कर दिया। इसी समय उ0नि0 घनश्याम यादव की गाड़ी द्वारा उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया तो उसने गाड़ी बांये दिशा में मौजा डेहरास ग्राम चंदई पाण्डेय पुरवा (परसपुर—नवाबगंज मार्ग) की तरफ मोड़ दी और उसकी बाईक अचानक फिसलकर गिर गयी, जिस पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा अपने वाहन से उतर कर तीन तरफ से घेरने का प्रयास करते हुये उसे आत्मसमर्पण के लिये कहा गया, परन्तु बदमाश जान से मारने की नियत से एस0टी0एफ0 टीम पर फायर करता रहा। एस0टी0एफ0 टीम द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी परसपुर भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। मृत बदमाशों की शिनाख्त विजय सिंह उर्फ बिज्जी उर्फ बिजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 अशोक कुमार सिंह नि0 खरगपुर थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

उपरोक्त विजय सिंह उर्फ बिज्जी के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वह विभिन्न जनपदों में पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने वाला कुख्यात लुटेरा व हत्यारा अपराधी था, जो आम जन मानस में भय व आतंक का पर्याय बना हुआ था। इस अपराधी पर जनपद अम्बेडकरनगर, अयोध्या, अमेठी, गोरखपुर आदि जनपदों में लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। विजय सिंह उर्फ बिज्जी कभी अकेले व कभी अपने अन्य साथियों के साथ अपराध कारित करता था। जनवरी 2021 में जनपद अम्बेडकरनगर के थाना महरूआ क्षेत्रान्तर्गत सचिन उर्फ पुज्जु तिवारी की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी थी। इस हत्या की घटना के उपरान्त वह निरन्तर फरार चल रहा था। जिसके बाद आम जन मानस में भय व आतंक व्याप्त हो गया था। इस सम्बन्ध में जनपद अम्बेडकरनगर, थाना महरूआ पर मु0अ0सं0 6/2021 धारा 302, 120बी भादवि पंजीकृत हुआ था एवं इसी मुकदमे में इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या द्वारा रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त विजय सिंह उर्फ बिज्जी का अब तक प्राप्त अपराधिक इतिहास –

क्रं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	06/2021	302, 120बी भादवि	महरूआ	अम्बेडकरनगर
02	09/2021	307 भादवि	महरूआ	अम्बेडकरनगर
03	807/1997	307 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
04	808/1997	3/25 आर्म्स एक्ट	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
05	825/1997	3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
06	429/1998	307 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
07	629/1998	307 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
08	676/1998	460 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
09	128/2013	392,411 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
10	338/2013	392,411 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
11	600/2011	379 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकरनगर
12	297/1997	392 भादवि	भीटी	अम्बेडकरनगर

13	441 / 1997	392,411 भादवि	गोसाईगंज	अयोध्या
14	296 / 2013	3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट	पुराकलन्दर	अयोध्या
15	75 / 2019	399,402,419,420,468,471	फुरसतगंज	अमेठी
16	76 / 2019	3 / 25 आर्म्स एक्ट	फुरसतगंज	अमेठी
17	154 / 2010	392 भादवि	बेलाघाट	गोरखपुर
एचएस 216ए थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर				

उपरोक्त मुठभेड के संबंध में थाना परसपुर, गोण्डा में मु0अ0सं0 21 / 2022 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 22 / 2022 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।
